



प्रेस विज्ञप्ति
24.08.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल में एसएससी ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी कर्मचारी भर्ती घोटाले के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पार्थ चटर्जी, सुश्री अर्पिता मुखर्जी, कुंतल घोष एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 20.08.2026 को प्रथम अनुपूरक अभियोजन परिवाद दायर किया है। उक्त परिवाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 22.01.2025 को दायर अभियोजन परिवाद के क्रम में दायर किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के माध्यम से ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। अनुसूचित अपराध भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, छल तथा भ्रष्टाचार से संबंधित हैं।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से यह पता चला है कि भर्ती घोटाला ओएमआर अंकों में हेरफेर, रैंक में हेरफेर, जाली एवं पूर्व दिनांकित अनुशंसा पत्र जारी करने, पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध नियुक्तियां करने तथा निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के माध्यम से किया गया था।

जांच में आगे यह भी पता चला है कि श्री पार्थ चटर्जी, जो उस समय शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री थे, ने डब्ल्यूबीसीएसएससी तथा संबद्ध संस्थाओं पर व्यापक अधिकार का प्रयोग किया और अवैध भर्तियों को प्रभावित करने एवं सुगम बनाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। जांच में यह भी पता चला है कि अयोग्य अभ्यर्थियों की सूचियां उनके निर्देशों के अनुसरण में तैयार की गईं तथा अनुशंसा और नियुक्ति पत्र जारी कराने के लिए श्री प्रसन्न कुमार रॉय और उनके सहयोगियों सहित बिचौलियों के माध्यम से भेजी गईं। जांच में आगे यह भी पता चला है कि अवैध नियुक्तियों को सुगम बनाने के लिए ओएमआर-आधारित परीक्षा परिणामों में हेरफेर तथा रैंक में हेरफेर किया गया।

जांच में आगे यह भी पता चला कि बिचौलियों और एजेंटों के एक नेटवर्क ने सुनिश्चित नियुक्ति के बदले नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों से अवैध रिश्तों की वसूली की। विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों से लगभग 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की राशि की मांग की गई, जबकि अयोग्य अभ्यर्थियों से ग्रुप-सी पदों के लिए 15-16 लाख रुपये तथा ग्रुप-डी पदों के लिए 10-12 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। प्रसन्न कुमार रॉय ने प्रमुख बिचौलिए के रूप में कार्य किया तथा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपराध से अर्जित आय के संग्रहण और उसे विभिन्न माध्यमों से हस्तांतरित करने में सुविधा प्रदान की।

जांच में ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी भर्ती घोटाले में अपराध से अर्जित आय की राशि कम से कम 630.40 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह परिमाणीकरण अवैध नियुक्तियों की संख्या तथा अभ्यर्थियों से वसूल की गई राशियों के आधार पर किया गया है। जांच में यह भी स्थापित हुआ है कि अपराध से अर्जित आय की वास्तविक राशि इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि घोटाले में रैंक में हेरफेर, पैनल से बाहर नियुक्तियां, पैनल की अवधि समाप्त होने के बाद नियुक्तियां तथा आरटीआई/पुनर्मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से हेरफेर सहित अवैध भर्ती के अन्य तरीके भी अपनाए गए थे।

जांच में आगे यह भी पता चला कि अवैध भर्ती के माध्यम से अर्जित अपराध से प्राप्त आय को सहयोगियों, मुखौटा व्यक्तियों तथा शेल/डमी संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से छिपाया गया, अपने कब्जे में रखा गया, अर्जित किया गया, उपयोग किया गया तथा बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित एक संबद्ध मामले में सुश्री अर्पिता मुखर्जी के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान लगभग 49.80 करोड़ रुपये की नकदी तथा लगभग 5.08 करोड़ रुपये मूल्य का सोना एवं आभूषण

जब्त किए गए। जांच में पता चला कि सुश्री अर्पिता मुखर्जी ने अवैध धनराशि के अभिरक्षक के रूप में कार्य किया तथा अपराध से अर्जित आय को रखने और उसे विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित करने के लिए प्रयुक्त कई शेल एवं डमी कंपनियों में उन्हें निदेशक/शेयरधारक बनाया गया था।

इसके अतिरिक्त, अभियुक्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों से संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से भर्ती घोटाले से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके अनेक अचल संपत्तियां अर्जित की गईं। ईडी ने अब तक एसएससी ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी भर्ती घोटाले में लगभग **247.35 करोड़ रुपये** मूल्य की संपत्तियां संलग्न की हैं। एसएससी एवं प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित भर्ती घोटाला मामलों में ईडी ने अब तक **702 करोड़ रुपये से अधिक** की अपराध से अर्जित आय कुर्क की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 03.04.2025 को एसएलपी (सिविल) संख्या 9586/2024, *पश्चिम बंगाल सरकार बनाम बैसाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एवं अन्य*, में दिए गए अपने निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी तथा 25,000 से अधिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दीं। निर्णय में ओएमआर अंकों में हेरफेर, रैंक में हेरफेर तथा अवैध नियुक्तियों सहित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया।